

क्रमांक एफ 6-6/2019/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 6 जुलाई, 2019

प्रति,

कलेक्टर,
जिला-कटनी
मध्यप्रदेश

विषय:- विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक-105 द्वारा श्री संजय सत्येन्द्र पाठक- जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 6207/सा.शा./2018, दिनांक 28.06.2019

==

कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विधान सभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 105 के प्रश्नांश "ख" के उत्तर में "अनुविभागीय अधिकारी रा. विजयराघवगढ़ द्वारा वर्ष 2017 के पूर्व तक बागरी जाति के जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं। माननीय कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा जारीत आदेश दिनांक 25.08.2017 के परिपालन में बागरी जाति के प्रमाण पत्र नहीं बनाए गए।" जानकारी दी गयी है।

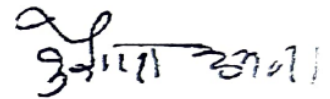
आयुक्त जबलपुर संभाग के आदेश को देखा गया। यह आदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत अपीलीय अधिकारी का आदेश है। यह ऐसा कोई सामान्य आदेश नहीं है जिसमें यह निर्देश हो कि कटनी जिले में बागरी जाति नहीं पायी जाती है। इसलिए इस जाति के प्रमाण पत्र जारी न किये जाये। अतएव एक अपीलीय अधिकारी के आदेश के आधार पर सारे जिले में जाति प्रमाण-पत्र जारी न करना न केवल अनुचित है, बल्कि खेद जनक भी है।

निरंतर.....

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अंतर्गत राज्य में किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित करने के अधिकार माननीय राष्ट्रपति जी को है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में बागरी जाति पूरे मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति के रूप में मान्य है। अतः इस जाति के पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण-पत्र जारी करने से नहीं रोका जा सकता।

अतः निर्देशित किया जाता है कि बागरी जाति के पात्र व्यक्तियों को तुरंत जारी किये जाये।

(अपर मुख्य सचिव, सा0प्र0वि0 द्वारा अनुमोदित)



(के० के० कांतिया) ०६/११/१५

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग